


अगवान भगवानाराम V/S जगदीश

मुकदमा नंबर 02 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फूलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 269/130 रकबा 1.4811 हैक्टर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक/2024/1103

दिनांक : 29-10-2024

प्रार्थीगण
भगवानाराम पुत्र कोलाराम वगैराह
बनाम
जगदीश पुत्र गोपालराम
विप्रार्थीगण
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश
जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं 02/2023

दिनांक :- 28.10.2024

--: आदेश :-

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम फूलण तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 269/130 रकबा 1.4811 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रुपये 2000/-प्रार्थीगण अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
सिवाना(बालोतरा)

क्रमांक: वाचक /2024/1104

दिनांक : 29-10-2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी सावरंडा को तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी भगवानाराम पुत्र कोलाराम जाति विशनोई निवासी फूलण तहसील समदडी




उपखण्ड अधिकारी
सिवाना(बालोतरा)